मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी
M.P. STATE HAJ COMMITTEE
मध्य प्रदेश शासन

(भारत सरकार के हज अधिनियम 2002 के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

Web Site : www.mphajcommittee.com, e-mail : mpshcbhopal@yahoo.in

Haj House, Gram Singarcholi, Behind Gulmohar Gardan, Airport Road, Bhopal-462036 (M.P.)

PH:-0755-2530139 , FAX :- 0755-2538039

REF:MPSHC/37/2023/528 DATE : 16-05-2023

प्रति,

जनसम्पर्क आयुक्त,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषयः—हज—2023 में जाने वाले हज यात्रियों के लिए स्टेन्डर्ड साइज़ के बैगैजेज़ की अनिवार्यता के संबंध में निम्न प्रेस विज्ञप्ति भेजी जा रही है जिसे राज्य के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समस्त केन्द्रों से प्रसारित कराने बाबत्।

प्रेस विज्ञप्ति

हज कमेटी ऑफ इडिंया द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 19 (हज—2023), दिनांक 17—05—2023 के माध्यम से प्राप्त जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रफत वारसी (कैबिनेट मंत्री दर्जा, मध्य प्रदेश शासन) ने बताया कि हज—2023 में जाने वाले हज यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेन्डर्ड साइज़ के बैगैजेज़ का निर्णय लिया जा चुका है। पूर्वानुसार यह देखने में आया है कि विभिन्न प्रकार के बैगैजे ले जाना बहुत मुश्किल होता है। यह हज यात्रियों के साथ—साथ उनके साथ जाने वाले यात्रियों के लिए कई समस्याएं पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उड़ानों में देरी होती है। हज आवेदन फॉर्म एवं हज गाईड 2023 अनुसार अपने साथ 2 सूटकेस प्रत्येक का कुल वज़न 20 कि.ग्रा. (स्टेन्डर्ड साईज़ Length 75 + Breadth 55 + Height 28 =158 cm) एवं एक हेन्ड बैग जिसका कुल वज़न 7 कि.ग्रा. (स्टेन्डर्ड साईज़ 55cm x 40cm x 23cm) ही साथ ले जाऐ। इसके अतिरिक्त किसी भी बैगेज की ज़िम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की नहीं होगी। इसका पालन नहीं किए जाने की स्थिति में हज यात्रा किसी भी स्टेज तक निरस्त कर जमा की गई राशि हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा ज़प्त की जा सकती है।

<u>चेतावनी</u>— हज यात्रियों को हैंड बैगेज के आकार और वज़न का कड़ाई से पालन करना चाहिए क्योंकि बिना आकार (Unspecified) के हैंड बैगेज का वज़न 7 किलोग्राम से अधिक होता है तो एयरलाइंस द्वारा हैंडबैग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह जददा/मदीना हज टर्मिनल पर ही रूका रहेगा। सावधान रहें और एयरलाइन्स के नियमों का पालन करें। कृपया बिना आकार (Unspecified) के हैंड बैग में कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु जैसे—यात्रा दस्तावेज, दवाइयां, चश्मा आदि न रखें।

<u>नोट</u>— हज यात्रियों को यह सलह दी जाती है कि वह आसान पहचान के लिए बोल्ड मार्कर पेन द्वारा बैगेज पर अपना कवर नंबर, नाम, पता, फ्लाइट नंबर, एम्बार्केशन पॉइंट दर्ज करें और अपने बैगेज पर स्टीकर चस्पा करें।

<u>ज़मज़म पानी</u>— सऊदी अरब से वापसी के समय हज यात्री को ज़मज़म के डिब्बे या बोतलें अलग से नहीं लाना है। यदि ज़मज़म या सामान में कोई प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है तो सऊदी अरब सरकार के अधिकारी विमानतल पर सामान को ज़ब्त कर लेंगे। एयरलाइनों द्वारा प्रत्येक हज यात्री को वापसी पर उनके उतरने के स्थान पर 5 लीटर ज़मज़म का कैन दिया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी की वेबसाइट www.mphajcommittee.com पर परिपत्र क्रमांक 19 (हज—2023) का अवलोकन एवं दूरभाष क्रमांक 0755—2530139 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

(मसूद अख़तर सिद्दीकी)
सचिव
मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी